



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जी.ओ.-अ.-12092024-257097
CG-GO-E-12092024-257097

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 716]
No. 716]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 11, 2024/भाद्र 20, 1946
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 11, 2024/BHADRA 20, 1946

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)

अधिसूचना

गुरुग्राम, 2 अगस्त, 2024

गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(विद्युत आपूर्ति संहिता) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2024

सं. जेईआरसी -23/2018.—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 50 के साथ पठित धारा 181 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों और विद्युत आपूर्ति से संबंधित अधिनियम के संदर्भ में सरकार द्वारा जारी अधीनस्थ कानून, नियम, वैधानिक आदेश, संकल्प, स्पष्टीकरण सहित इस संबंध में इसे सक्षम करने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग इसके मौजूदा जेईआरसी (विद्युत आपूर्ति कोड) विनियम, 2018 (इसके बाद मूल विनियम के रूप में संदर्भित) में संशोधन करता है।

विनियम

1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभन और सीमा

- इन विनियमों को गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2024 कहा जा सकता है।
- ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

- (iii) ये विनियम गोवा राज्य तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव, पुदुचेरी और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होंगे।

2. मूल विनियमों के विनियम 2 में संशोधन:

- (i) मूल विनियमों के विनियम 2.3(4) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:

“(4) ‘आवेदक’ का अर्थ किसी परिसर के मालिक या अधिभोगी से है, जो विद्युत आपूर्ति, स्वीकृत भार या अनुबंध मांग में वृद्धि या कमी, शीर्षक में परिवर्तन या नाम में उत्परिवर्तन, उपभोक्ता श्रेणी में परिवर्तन, कनेक्शन काटने या आपूर्ति की बहाली, या अनुबंध की समाप्ति, कनेक्शन का स्थानान्तरण या जेईआरसी विद्युत आपूर्ति संहिता विनियमों (समय-समय पर संशोधित) में निर्दिष्ट किसी भी अन्य सेवाओं के लिए वितरण लाइसेंसधारी के पास आवेदन करता है, जैसा भी मामला हो, अधिनियम, नियमों और इसके तहत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के अनुसार।”

- (ii) मूल विनियमों के विनियम 2.3(26) के बाद निम्नलिखित को शामिल किया जाता है:

“(26) (क) ‘दिनों’ का अर्थ है स्पष्ट कार्य दिवस।”

- (iii) मूल विनियमों के विनियम 2.3 (59) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:

“(59) ‘प्रोज्यूर’ का अर्थ है एक व्यक्ति जो ग्रिड से बिजली की खपत करता है और आपूर्ति के उसी बिंदु का उपयोग करके वितरण लाइसेंसधारी के लिए ग्रिड में बिजली भी डाल सकता है।”

- (iv) मूल विनियमों के विनियम 2.3 (66) के बाद निम्नलिखित को शामिल किया जाता है:

“(66) (क) ‘अस्थायी कनेक्शन’ का अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा अपनी अस्थायी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक विद्युत कनेक्शन से है, जैसे कि आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक परिसरों के निर्माण के लिए, जिसमें जल निकासी के लिए पंप, त्यौहारों और पारिवारिक समारोहों के दौरान रोशनी के लिए, कृषि पंप सेटों को छोड़कर श्रेशर या अन्य ऐसी मशीनरी के लिए, भ्रमणशील सिनेमा, थियेटर, सर्कस, मेले, प्रदर्शनियों, मेलों या समागमों के लिए उपयोग किया जाता है।”

3. मूल विनियमों के विनियम 4 में संशोधन:

- (i) मूल विनियमों के विनियम 4.3 के अंतर्गत तालिका-1 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है:

तालिका 1: आपूर्ति की मानक वोल्टता

	श्रेणी	आपूर्ति प्रणाली
क	निम्न वोल्टता	
क.	5 किवा तक के अनुबंधित भार वाले सभी संस्थापन (सिंचाई पम्पिंग और कृषि सेवाओं के अलावा)	220 वोल्ट/ 230 वोल्ट पर एकल फेज
ख.	सिंचाई पम्पिंग और कृषि सेवाएं तथा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों को छोड़कर सभी संस्थापन जिनका अनुबंधित भार 5 किवो से अधिक और 100 किवोए तक का अनुबंधित भार है	440 वोल्ट पर 3 फेज, 4 तार
ग.	5 किवा से अधिक और 167 किवोए (150 किवा) तक के अनुबंधित भार वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन	440 वोल्ट पर 3 फेज, 4 तार
ख	उच्च वोल्टता	
क.	ईवी चार्जिंग स्टेशनों को छोड़कर 100 किवोए से अधिक और 5000 किवोए तक का अनुबंधित भार।	6.6 किवो/11किवो/22किवो/33किवो
ख.	ईवी चार्जिंग स्टेशन जिनका अनुबंधित भार 167 किवोए (150 किवा) से अधिक और 5000 किवोए शामिल है	6.6 किवो/11किवो/22किवो/33किवो

ग	अति उच्च वोल्टता	
क.	अनुबंधित भार 5000 किवोए से अधिक	66 किवो और उससे अधिक

4. मूल विनियमों के विनियम 5 में संशोधन:

(i) मूल विनियमों के विनियम 5.5 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:

“यदि कोई वितरण लाइसेंसी आपूर्ति संहिता विनियमों में निर्दिष्ट अवधि के भीतर बिजली की आपूर्ति करने में विफल रहता है, तो उस पर चूक के प्रत्येक दिन के लिए पांच सौ रुपये से अधिक का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।”

(ii) मूल विनियमों के विनियम 5.25 के अंत में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है:

“आवेदक के पास हार्ड कॉपी या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन जमा करने का विकल्प होगा।”

(iii) मूल विनियमों के विनियम 5.27 को निम्नानुसार को शामिल किया जाता है:

“10 किवो के भार तक के नए कनेक्शन के लिए आवेदन आवेदक की एक तस्वीर, आवेदक के पहचान प्रमाण, आवेदक के स्वामित्व या परिसर में अधिभोग का प्रमाण जिसके लिए नया कनेक्शन मांगा जा रहा है, के साथ होना चाहिए जैसा कि आपूर्ति संहिता विनियमों के विनियमन 5.29-5.30 में विस्तृत है।

10 किवो से अधिक भार के नए कनेक्शन और मौजूदा कनेक्शन में संशोधन के लिए, आवेदन के साथ आवेदक का फोटो, आवेदक का पहचान प्रमाण, जिस परिसर के लिए नया कनेक्शन मांगा जा रहा है, उस पर आवेदक के स्वामित्व या अधिभोग का प्रमाण, आवेदक के वर्तमान पते का प्रमाण और विशिष्ट मामलों में, आपूर्ति संहिता विनियमों के विनियमन 5.29-5.34 में वर्णित कुछ अन्य दस्तावेज संलग्न होने चाहिए।”

(iv) मूल विनियमों के विनियम 5.36 के बाद निम्नलिखित प्रावधान को जोड़ा किया जाता है:

“इसके अलावा विशिष्ट पंजीकरण संख्या के आधार पर आवेदन ट्रेकिंग तंत्र वितरण लाइसेंसधारी द्वारा वेब-आधारित एप्लिकेशन या मोबाइल ऐप या एसएमएस के माध्यम से या किसी अन्य मोड द्वारा आवेदन की प्राप्ति, साइट निरीक्षण, मांग नोट जारी करने, बाहरी कनेक्शन, मीटर स्थापना और बिजली प्रवाह जैसे आवेदन के प्रसंस्करण की स्थिति की निगरानी के लिए प्रदान किया जाएगा।

इसके अलावा यदि आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्रस्तुत की जाती है, तो उसे प्राप्त होते ही स्कैन करके वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा तथा उस आवेदक के लिए पंजीकरण संख्या सहित पावती तैयार की जाएगी तथा आवेदन प्राप्त होने के चौबीस घंटे के भीतर आवेदक को सभी अपेक्षित सूचनाओं सहित सूचित कर दिया जाएगा।”

(v) मूल विनियमों के विनियम 5.52 के तहत तालिका-3 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है:

“तालिका 3: नए बिजली कनेक्शन (ऊर्जाकरण) जारी करने की समयसीमा:

क्रियाकलाप	समयसीमा
नया कनेक्शन/अतिरिक्त भार जहां मौजूदा नेटवर्क से आपूर्ति प्रदान की जा सकती है।	मेट्रो शहर: सभी प्रकार से पूर्ण रूप से उपयुक्त प्रपत्र में आवेदन प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर।
	शहरी/नगरपालिका क्षेत्र: सभी प्रकार से पूर्ण रूप से उपयुक्त प्रपत्र में आवेदन प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर।
	ग्रामीण क्षेत्र: सभी प्रकार से पूर्ण रूप से उपयुक्त प्रपत्र में आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर।
	द्वीप समूह का ग्रामीण क्षेत्र: सभी प्रकार से पूर्ण रूप से उपयुक्त प्रपत्र में आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर।
विस्तार कार्य या ट्रांसफार्मर क्षमता में वृद्धि / वितरण मेन्स का विस्तार, या नए सबस्टेशनों की स्थापना की आवश्यकता है।	वितरण लाइसेंसधारी ऐसे विस्तार या चालू होने के तुरंत बाद 90 दिनों से अधिक की अवधि के भीतर ऐसे परिसरों को बिजली की आपूर्ति करेगा।

(vi) मूल विनियमों के विनियम 5.119 के अंत में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है:

“यदि, वितरण लाइसेंसधारी और उपभोक्ता के बीच एक समझौते को निष्पादित करना आवश्यक है, तो वह आवेदन का हिस्सा बन जाएगा और अलग समझौते की कोई आवश्यकता नहीं होगी।”

5. मूल विनियमों के विनियम 6 में संशोधन:

(i) मूल विनियमों के विनियम 6.1 में पहली पंक्ति में, 'बिना मीटर के किसी भी संस्थापन की सेवा नहीं की जाएगी' को निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“मीटर के बिना कोई कनेक्शन नहीं दिया जाएगा और ऐसा मीटर स्मार्ट प्री-पेमेंट मीटर या प्री-पेमेंट मीटर होगा। स्मार्ट मीटर या प्री-पेमेंट मीटर के किसी भी अपवाद को आयोग द्वारा विधिवत अनुमोदित करना होगा। आयोग, ऐसा करते समय, स्मार्ट प्री-पेमेंट मीटर या प्री-पेमेंट मीटर की स्थापना से विचलन की अनुमति देने के लिए उचित औचित्य दर्ज करेगा।”

(ii) मूल विनियमों के विनियम 6.6 के बाद निम्नलिखित को शामिल किया जाता है:

“(क) टाइम ऑफ डे टैरिफ (टीओडी) - 10 किवा से अधिक अधिकतम मांग वाले वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए टाइम ऑफ डे टैरिफ 1 अप्रैल, 2025 के बाद की तारीख से पहले प्रभावी होगा और कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर अन्य उपभोक्ताओं के लिए, टाइम ऑफ डे टैरिफ 1 अप्रैल, 2025 से पहले प्रभावी होगा और स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए टाइम ऑफ डे टैरिफ स्मार्ट मीटर की स्थापना के तुरंत बाद प्रभावी हो जाएगा।

बशर्ते कि यदि 1 अप्रैल, 2025 से स्मार्ट मीटरों की स्थापना और टीओडी के कार्यान्वयन में कोई देरी होती है, तो आयोग से अपवाद मांगा जाएगा।”

(iii) मूल विनियमों के विनियम 6.27 में 'ऐसा न करने पर, आपूर्ति काट दी जाएगी' से पहले अंतिम पंक्ति में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है:

“उपभोक्ता के पास मीटर रीडिंग और मीटर रीडिंग की तारीख दर्शाते हुए मीटर की तस्वीर पंजीकृत मोबाइल या ई-मेल के माध्यम से भेजने का विकल्प होगा।”

(iv) मूल विनियमों के विनियम 6.30 के बाद निम्नलिखित को शामिल किया जाता है:

(क) सभी प्रकार के स्मार्ट मीटरों को दिन में कम से कम एक बार दूर से पढ़ा जाएगा और अन्य प्री-पेमेंट मीटरों को वितरण लाइसेंसधारी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार पढ़ा जाएगा तथा ऊर्जा खपत से संबंधित आंकड़े वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन या लघु संदेश सेवा आदि के माध्यम से उपभोक्ता को उपलब्ध कराए जाएंगे, बशर्ते कि स्मार्ट प्री-पेमेंट मीटर वाले उपभोक्ताओं को भी कम से कम दैनिक आधार पर अपनी खपत और शेष राशि की जांच के लिए डेटा तक पहुंच प्रदान की जाएगी।

(ख) स्मार्ट मीटर की स्थापना के बाद, स्थापना तिथि से पहले की अवधि के लिए स्मार्ट मीटर द्वारा दर्ज की गई अधिकतम मांग के आधार पर उपभोक्ता पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

(ग) यदि स्मार्ट मीटर द्वारा दर्ज की गई अधिकतम मांग किसी महीने में स्वीकृत भार से अधिक है, तो उस बिलिंग चक्र के लिए बिल की गणना वास्तविक दर्ज की गई अधिकतम मांग के आधार पर की जाएगी और उपभोक्ताओं को लघु संदेश सेवा या मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से गणना में इस परिवर्तन के बारे में सूचित किया जाएगा।

यदि वास्तविक दर्ज अधिकतम मांग के आधार पर स्वीकृत भार का संशोधन, यदि कोई हो, निम्नानुसार होगा:

- दर्ज अधिकतम मांग में वृद्धि के मामले में, मासिक अधिकतम मांग में से न्यूनतम, जहां दर्ज अधिकतम मांग एक वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम तीन बार स्वीकृत भार सीमा से अधिक हो गई है, को संशोधित स्वीकृत भार माना जाएगा, और इसे स्वचालित रूप से अगले वित्तीय वर्ष में बिलिंग चक्र से रीसेट कर दिया जाएगा; तथा

- अधिकतम मांग में कमी की स्थिति में स्वीकृत भार का संशोधन विद्युत आपूर्ति संहिता के अनुसार किया जाएगा।

(v) मूल विनियमों के विनियम 6.35 में, तीसरी पंक्ति में 'अपेक्षित परीक्षण शुल्क सहित' हटाया जाता है।

(vi) मूल विनियमों के विनियम 6.36 के पहले और दूसरे प्रावधान को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:

“बशर्ते कि यदि उपभोक्ता के कारण मीटर खराब या जला हुआ पाया जाता है तो रिपोर्ट करते समय उपभोक्ता से कोई परीक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा, ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को नए मीटर की लागत वहन करनी होगी तथा परीक्षण शुल्क उपभोक्ता से आगामी बिलों के माध्यम से लिया जाएगा।

“यदि यह सफलतापूर्वक स्थापित हो जाता है कि इस परीक्षण के परिणाम वितरण लाइसेंसधारी द्वारा किए गए परीक्षण के परिणामों के विपरीत हैं, तो ऐसे परीक्षण की लागत वितरण लाइसेंसधारी द्वारा वहन की जाएगी। तथापि, यदि यह स्थापित हो जाता है कि इस परीक्षण के परिणाम, विनियमन 6.32 में वितरण लाइसेंसधारी द्वारा किए गए परीक्षण के परिणामों के समान हैं, तो ऐसे परीक्षण की लागत उपभोक्ता द्वारा वहन की जाएगी। मीटर परीक्षण के परिणाम और मीटर डेटा ऐसे परीक्षण के पूरा होने के बाद उपभोक्ता को जारी किए जाएंगे और उक्त परिणाम उपभोक्ता और वितरण लाइसेंसधारी दोनों पर अंतिम और बाध्यकारी होंगे।”

(vii) मूल विनियमों के विनियम 6.48 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:

“यदि कोई मीटर उपभोक्ता की शिकायत पर अथवा लाइसेंसधारक द्वारा निरीक्षण किए जाने पर जला हुआ पाया जाता है तो लाइसेंसधारक शिकायत प्राप्त होने अथवा लाइसेंसधारक द्वारा निरीक्षण किए जाने के 6 घंटे के भीतर अपनी लागत पर नए मीटर के माध्यम से आपूर्ति बहाल करेगा।

बशर्ते कि मीटर की अनुपलब्धता आपूर्ति की बहाली में विलंब का कारण न हो।”

6. मूल विनियमों के विनियम 7 में संशोधन:

(i) मूल विनियमों के विनियम 7.6 के प्रावधानों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:

“बिल भेजने में 60 दिन से अधिक की देरी होने पर उपभोक्ताओं को दो प्रतिशत की छूट दी जाएगी।”

(ii) मूल विनियमों के विनियम 7.30 के बाद निम्नलिखित प्रावधान जोड़ा जाता है:

“यदि भुगतान ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से किया जाता है तो एलटी उपभोक्ताओं और एचटी उपभोक्ताओं को क्रमशः 0.5% और 0.25% की छूट दी जाएगी।”

7. मूल विनियमों के अनुलग्नक-XVIII में संशोधन:

(i) विनियम 5.18 में उल्लिखित सुरक्षा जमा राशि के परिसीमन के लिए अनुलग्नक-XVIII के अंतर्गत प्रदान की गई तालिका को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:

क्र.सं.	विवरण	लोड फैक्टर ²	घंटे (घं)
1.	घरेलू	30%	12
2.	वाणिज्यिक	50%	12
3.	एलटी औद्योगिक	50%	10
4.	एचटी/ईएचटी औद्योगिक:		
	• एकल पाली वाले उद्योग	50%	10
	• दोहरी पाली वाले उद्योग	75%	18
	• सतत उद्योग	100%	24
5.	कृषि / जल आपूर्ति	33%	4

6.	स्ट्रीट लाइटें	40%	8
7.	सिग्नल एवं ब्लिंकर	75%	12
8.	रेलवे ट्रेक्शन	50%	24
9.	होटल/रेस्तरां/रिसॉर्ट	50%	12

आयोग के आदेशानुसार,

एस.डी.शर्मा, सचिव (प्रभारी)

[विज्ञापन-III/4/असा./486/2024-25]

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the State of Goa and Union Territories)

NOTIFICATION

Gurugram, the 2nd August, 2024

Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories

(Electricity Supply Code) (Third Amendment) Regulations, 2024

No. JERC-23/2018.—In exercise of the powers conferred under Section 181 read with Section 50 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf including sub-ordinate legislation, rules, statutory orders, resolutions, clarifications issued by the Government in terms of the Act relating to supply of electricity, the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories hereby amend its existing JERC (Electricity Supply Code) Regulations, 2018 (hereinafter referred to as the Principal Regulations).

REGULATIONS

1. Short title, commencement and extent

- These Regulations may be called the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Electricity Supply Code) (Third Amendment) Regulations, 2024.
- These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- These Regulations shall extend to the State of Goa and the Union Territories of Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, Puducherry and Chandigarh.

2. Amendment in Regulation 2 of the Principal Regulations:

- Regulation 2.3(4) of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“(4) Applicant means an owner or occupier of any premises who files an application with a distribution licensee for supply of electricity, increase or decrease in sanctioned load or contract demand, change in title or mutation of name, change in consumer category, disconnection or restoration of supply, or termination of agreement, shifting of connection or any other services as specified in the JERC Electricity Supply Code Regulations (as amended from time to time) as the case may be, in accordance with the provisions of the Act, Rules and Regulations made there under.”

- Following shall be inserted after Regulation 2.3(26) of the Principal Regulations:

“(26) (a) Days means clear working days.”

- Regulation 2.3(59) of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“(59) Prosumer means a person who consumes electricity from the grid and can also inject electricity into the grid for distribution licensee, using same point of supply.”

- Following shall be inserted after Regulation 2.3(66) of the Principal Regulations:

“(66) (a) Temporary connection means an electricity connection required by a person for meeting his temporary needs such as for construction of residential, commercial and industrial complexes

including pumps for dewatering, for illumination during festivals and family functions, for threshers or other such machinery excluding agriculture pump sets, for touring cinemas, theatres, circuses, fairs, exhibitions, melas or congregations.”

3. Amendment in Regulation 4 of the Principal Regulations:

- (i) The Table-1 under Regulation 4.3 of the Principal Regulations shall be substituted with the following:

Table 1: Standard Voltage of Supply

	Category	System of Supply
A	Low Tension	
a.	All installations (other than irrigation pumping and agricultural services) with a contracted load up to and including 5 kW	Single phase at 220 V/ 230 V
b.	Irrigation pumping and agricultural services and all installations except Electric Vehicles charging stations with a contracted load exceeding 5 kW and up to and including 100 kVA of contracted load	3 Phase, 4 wire at 440 V
c.	EV Charging Station with a contracted load exceeding 5 kW and up to and including 167kVA(150kW)	3 Phase, 4 wire at 440 V
B	High Tension	
a.	Contracted load exceeding 100 kVA and up to and including 5000kVA. Excluding EV Charging Stations	6.6 kV/11kV/22kV/33kV
b.	EV Charging Stations having contracted load above 167 kVA (150 kW) and including 5000 kVA	6.6 kV/11kV/22kV/33kV
C	Extra High Tension	
a.	Contracted load exceeding 5000 kVA	66 kV and above

4. Amendment in Regulation 5 of the Principal Regulations:

- (i) Regulation 5.5 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“If a distribution licensee fails to supply electricity within the period specified in the Supply Code Regulations, it shall be liable to a penalty not exceeding five hundred rupees for each day of default.”

- (ii) Following shall be inserted at the end of Regulation 5.25 of the Principal Regulations:

“The applicant shall have an option to submit an application in hard copy or an electronic means”

- (iii) Regulation 5.27 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“Application for new connections up to a load of 10 kW must be accompanied with a photograph of the applicant, identity proof of the applicant, proof of applicant’s ownership or occupancy over the premises for which new connection is being sought as detailed in Regulation 5.29-5.30 of the Supply Code Regulations.

For new connections above 10 kW load, and modification of existing connection, the application must be accompanied with a photograph of the applicant, identity proof of the applicant, proof of applicant’s ownership or occupancy over the premises for which new connection is being sought, proof of applicant’s current address, and in specific cases, certain other documents as detailed in Regulation 5.29-5.34 of the Supply Code Regulations.”

- (iv) Following proviso shall be inserted after Regulation 5.36 of the Principal Regulations:

“Provided that the application tracking mechanism based on the unique registration number shall be provided by the distribution licensee through web-based application or mobile app or through SMS or by any other mode to monitor the status of processing of the application like receipt of application, site inspection, issuance of demand note, external connection, meter installation and electricity flow.

Provided further that in case hard copy of the application form is submitted, the same shall be scanned and uploaded on the website as soon as it is received and acknowledgement with the registration number for that applicant shall be generated and intimated to the applicant within twenty-four hours of receipt of the application, complete with all required information.”

- (v) The Table-3 under Regulation 5.52 of the Principal Regulations shall be substituted with the following:

“Table 3: Timeline for releasing new electricity connection (energization):

Activity	Timeline
New connection/additional load where supply can be provided from existing network.	Metro Cities: within 3 days from receipt of application complete in all respect in the appropriate form.
	Urban/Municipal areas: within 7 days from receipt of application complete in all respect in the appropriate form.
	Rural area: within 15 days from receipt of application complete in all respect in the appropriate form.
	Rural area of Islands: 30 days from receipt of application complete in all respect in the appropriate form.
Extension works or enhancement of transformer capacity is required/ extension of distribution mains, or commissioning of new substations.	The distribution licensee shall supply the electricity to such premises immediately after such extension or commissioning within a period not exceeding 90 days.

- (vi) **Following shall be inserted at the end of Regulation 5.119 of the Principal Regulations:**

“In case, an agreement is required to be executed between distribution licensee and the consumer, the same shall become the part of the application and there shall not be any requirement of a separate agreement.”

5. Amendment in Regulation 6 of the Principal Regulations:

- (i) **In Regulation 6.1 of the Principal Regulations in the first line, ‘No installation shall be serviced without a meter’ shall be substituted with the following:**

“No connection shall be given without a meter and such meter shall be the smart pre- payment meter or pre-payment meter. Any exception to the smart meter or pre-payment meter shall have to be duly approved by the Commission. The Commission, while doing so, shall record proper justification for allowing the deviation from installation of the smart pre-payment meter or pre-payment meter.”

- (ii) **Following shall be inserted after Regulation 6.6 of the Principal Regulations:**

“(a) Time of Day Tariff (TOD) - The Time of Day tariff for Commercial and Industrial consumers having maximum demand more than 10 kW shall be made effective from a date not later than 1st April, 2025 and for other consumers except agricultural consumers, the Time of Day tariff shall be made effective not later than 1st April, 2025 and a Time of Day tariff shall be made effective immediately after installation of smart meters, for the consumers with smart meters.

Provided that in case there is any delay in the installation of smart meters and implementation of TOD from 1st April, 2025, exception shall be sought from the Commission.”

- (iii) **Following shall be inserted in the last line before ‘Failing this, supply shall be disconnected’ in Regulation 6.27 of the Principal Regulations:**

“The consumer shall have the option to send the picture of the meter indicating the meter reading and date of meter reading through registered mobile or through e-mail.”

- (iv) **Following shall be inserted after Regulation 6.30 of the Principal Regulations:**

(a) All types of smart meters shall be read remotely at least once in a day and the other pre-payment meters shall be read by an authorized representative of the distribution licensee at least once in every three months and the data regarding energy consumption shall be made available to the consumer, through website or mobile application or Short Message Service and the like, provided that the consumers having smart pre-payment meters shall also be given the data access for checking their consumption and balance amount at least on daily basis.

(b) After the installation of smart meters, no penalty shall be imposed on the consumer, based on the maximum demand recorded by the smart meter, for the period before the installation date.

(c) In case maximum demand recorded by the smart meter exceeds the Sanctioned Load in a month, the bill, for that billing cycle, shall be calculated based on the actual recorded maximum demand and consumers shall be informed of this change in calculation through Short Message Service or mobile application:

Provided that the revision of the Sanctioned Load, if any, based on the actual recorded maximum demand shall be as under:

- in case of increase in recorded maximum demand, the lowest of the monthly maximum demand, where the recorded maximum demand has exceeded the sanctioned load limit at least three times during a financial year, shall be considered as the revised Sanctioned Load, and the same shall be automatically reset from the billing cycle in next financial year; and
 - in case of reduction of maximum demand, the revision of sanctioned load shall be done in accordance with the Electricity Supply Code.
- (v) In Regulation 6.35 of the Principal Regulations, in the third line '*along with the requisite testing fee*' shall be deleted.

- (vi) 1st and 2nd proviso of Regulation 6.36 of the Principal Regulations, shall be substituted as under:

“Provided that no test fee shall be charged from the consumer at the time of reporting if the meter is found to be defective or burnt due to reasons attributable to the consumer, the consumer shall bear the cost of new meter and test fee shall be charged from the consumer through subsequent bills.

“Provided further that if it is successfully established that the results of this test are contrary to the results of the test performed by the distribution licensee, then the cost of undertaking such test shall be borne by the distribution licensee. However, in case it is established that the results of this test are same as the results of the test performed by the distribution licensee in Regulation 6.32, then the cost of undertaking such test shall be borne by the Consumer. The meter test results and the meter data shall be issued to the consumer after such test has been completed and the said results are final and binding on both the consumer and the distribution licensee.”

- (vii) Regulation 6.48 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“In case a meter is found burnt either on consumer’s complaint or upon inspection by the Licensee, the Licensee shall restore the supply through a new meter at its own cost within 6 hours of receipt of the complaint or inspection by the Licensee.

Provided that the non-availability of meter shall not be a reason for delay in restoration of supply.”

6. Amendment in Regulation 7 of the Principal Regulations:

- (i) Proviso of Regulation 7.6 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“Provided that in case of delay in serving a bill by more than 60 days, the consumers shall be given a rebate of two percent.”

- (ii) Following proviso shall be added after Regulation 7.30 of the Principal Regulations:

“Provided that if the payment is made through online system, a rebate of 0.5% and 0.25% shall be given to LT consumers and HT consumers respectively.”

7. Amendment in Annexure-XVIII of the Principal Regulations:

- (i) The table provided under Annexure-XVIII for the Delimitation of Security Deposit amount mentioned in Regulation 5.18 shall be substituted as under:-

S. No.	Particulars	Load factor ²	Hours (H)
1.	Domestic	30%	12
2.	Commercial	50%	12
3.	LT Industrial	50%	10
4.	HT/EHT Industrial:		
	• Single shift industries	50%	10

	• Double shift industries	75%	18
	• Continuous industries	100%	24
5.	Agriculture / Water Supply	33%	4
6.	Street lights	40%	8
7.	Signals & blinkers	75%	12
8.	Railway Traction	50%	24
9.	Hotels/ Restaurant/ Resorts	50%	12

By Order of the Commission

S. D. SHARMA, Secy. (I/c)

[ADVT.-III/4/Exty./486/2024-25]